

प्रपत्र-1-नियम 8 (1)
हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना

प्रार्थी का
पासपोर्ट
साइज
फोटोग्राफ़

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन /इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पैंशन /
 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पैंशन /वृद्धावस्था पैंशन /विकलांगता राहत भत्ता /
 विधवा परित्यक्ता /एकल नारी पैंशन /कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास भत्ता के लिये

प्रार्थना - पत्र

1. प्रार्थी का नाम
2. जन्म तिथि
3. जाति
4. व्यवसाय
5. क्या बी0पी0एल0 परिवार से सम्बद्धित है
6. यदि हाँ, तो परिवार की बी0पी0एल0 संख्या
सर्वेक्षण वर्ष सहित ।
7. पिता/पति का नाम
8. परिवार के मुखिया का नाम
9. वर्तमान रिहायश का पता
10. स्थाई पता
11. यदि पिता/पति जीवित नहीं हैं तो संरक्षक
का नाम व उससे नाता ।
12. परिवार के सभी सदस्यों का ब्यौरा (पति/पत्नी/पुत्रों/पुत्रियों का विवरण दें)

क्र0 सं0	नाम	आयु	नाता	व्यवसाय	पंचायत परिवार रजिस्टर की परिवार संख्या व पृष्ठ संख्या	समस्त स्त्रीों से वार्षिक आय (राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणित)	राशन कार्ड संख्या	मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या	दूरभाष/ मोबाइल संख्या, यदि हो

13. प्रार्थी की शिक्षा

14. क्या प्रार्थी तथा उसके परिवार के सदस्य को
किसी प्रकार की सहायता पैंशन सरकार से
मिलती है ? यदि है, तो उसका नाम, मासिक
राशि/स्त्रोत ।

15. सम्पत्ति की व्याख्या और उसकी कीमत :

- (क) परिवार के नाम कुल भूमि
(ख) बैंक में जमा राशि व डाकघरों का बचत :
खाते में जमा राशि का विवरण |
(ग) भूमि से वार्षिक आय
(घ) अन्य साधनों से वार्षिक आय
(ङ) कुल वार्षिक आय

16. प्रार्थी के नाम बैंक/डाकघर में बचत खाते का विवरण :

- (क) बैंक/डाकघर का नाम जहां खाता है
(ख) खाता संख्या

17. प्रार्थी का आधार नम्बर :

18. दो व्यक्तियों के नाम पूरे पते जो प्रार्थी को भली-भांति जानते हों और प्रार्थी की वास्तविकता को बतला सकें

- (1) नाम व पूरा पता
(2) नाम व पूरा पता

प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(पैड की स्याही के साथ)

घोषणा

मैं सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी ग्राम
डाकघर तहसील जिला सत्यानिष्टा लेकर अपने
ज्ञान से अभ्युष्टि पूर्वक यह घोषणा करता/करती हूं कि उक्त तथ्य मेरे प्रतिज्ञान से सही हैं। इनमें कोई भी तथ्य असत्य नहीं है और न ही इसमें कोई बात छिपाई गई है। मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूं कि इससे पूर्व मैं कोई पैशान प्राप्त नहीं कर रहा/रही हूं।

प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(पैड की स्याही के साथ)

- नोट-**
- यदि प्रार्थी विकलांग है तो जिला चिकित्सा बोर्ड से जारी स्थाई प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न करें।
 - यदि प्रार्थी कुछ रोग से पीड़ित है तो जिला कुछ रोग निवारण अधिकारी से प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
 - यदि प्रार्थी विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी है तो पंचायत सचिव का प्रमाण-पत्र तथा तीन रुपये की अस्टाम पेपर पर शपथ-पत्र सम्बन्धित दण्डाधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर संलग्न करें।

सत्यापन रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
गांव/शहर डाकघर सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी/
हिमाचल प्रदेश का/की स्थायी निवासी है । पिन जिला

आगे प्रमाणित किया जाता है :-

- (1) प्रार्थी की आयु पंचायत/शहरी निकाय के रिकॉर्ड अनुसार..... वर्ष..... (शब्दों में) है ।
- (2) प्रार्थी गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवार का सदस्य है तथा बी०पी०एल० संख्या..... है ।
- (3) प्रार्थी..... विकलांगता से स्थाई/अस्थाई रूप से ग्रस्त है तथा विकलांगता..... प्रतिशत जिला चिकित्सा बोर्ड/चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई है । (प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है) ।
- (4) प्रार्थी के पति की मृत्यु हो चुकी है तथा पुर्णविवाह नहीं किया है ।
- (5) प्रार्थी को पति ने छोड़ दिया है (तलाकनामा/शपथ-पत्र की प्रति संलग्न है) ।
- (6) प्रार्थी एकल नारी है (शपथ-पत्र संलग्न है) ।
- (7) प्रार्थी कुष्ठ रोग से ग्रस्त है तथा स्वास्थ्य विभाग के उपचाराधीन है । वह किसी भी सरकारी/अर्ध-सरकारी/निगमों/बोर्ड इत्यादि में कार्यरत नहीं है (शपथ-पत्र संलग्न है) ।
- (8) प्रार्थी का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या..... दिनांक क्रमांक..... पर चयन किया गया है ।
- (9) प्रार्थी की समस्त साधनों से वार्षिक आय..... रुपए (अंकों में)..... रुपए (शब्दों में) है ।
- (10) प्रार्थी की व्यक्तिगत वार्षिक आय के अतिरिक्त परिवार की वार्षिक आय रुपए (अंकों में)..... रुपए (शब्दों में) है ।

(11) प्रार्थी (जो अपंग तथा अव्यस्क है) के माता-पिता/अभिभावक की समस्त साधनों से वार्षिक आय..... रुपये (अंकों में)..... रुपये (शब्दों में) है ।

(12) क्रमांक (1), (2), (9), (10) तथा (11) के सम्बन्ध में मैंने जांच सम्बन्धित पंचायत/राजस्व विभाग से की है तथा इन तथ्यों सम्बन्धित प्रमाण-पत्र अनुबन्ध "क" तथा "ख" पर संलग्न है ।

उपरोक्त तथ्यों की जांच मैंने स्वयं पंचायत रिकॉर्ड तथा हल्का पटवारी से की है । रिपोर्ट के दृष्टिगत प्रार्थी पैशन/भत्ता के पात्र/अपात्र है प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को स्वीकृत/रद्द करने हेतु सिफारिश की जाती है ।

तहसील कल्याण अधिकारी ।
(मोहर व तिथि सहित)

नोट:-जो लागू न हो उसे काट दिया जाए तथा वास्तविक तथ्य रिपोर्ट किए जाएं ।

अनुबन्ध "क"

सम्बन्धित पंचायतों से जारी प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
गांव/शहर

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी
पिन

तहसील जिला हिमाचल प्रदेश का/की स्थायी निवासी है।
पंचायत रिकॉर्ड अनुसार श्री/श्रीमती की आयु/जन्म तिथि

है तथा उसके निम्नलिखित परिवार* के सदस्य हैं, जिनकी पंचायत रिकॉर्ड अनुसार आयु/जन्म तिथि/व्यवसाय का विवरण उनके नाम के सम्मुख है :-

क्रमांक	परिवार के सदस्यों का नाम	आयु/जन्म तिथि	नाता	कृषि के अतिरिक्त व्यवसाय
	1. श्री/श्रीमती का नाम हिमाचल प्रदेश के जिले छत्तीसगढ़ में जारी होने वाले ग्राम्य विवरण (A)			
	2. श्री/श्रीमती का नाम हिमाचल प्रदेश के जिले छत्तीसगढ़ में जारी होने वाले ग्राम्य विवरण (B)			

आगे प्रमाणित किया जाता है कि :-

2. श्री/श्रीमती गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवार से है, जिसकी बी0पी0एल0 संख्या है।

3. श्री/श्रीमती तथा उनके परिवार के अन्य कोई भी सदस्य किसी भी पैशान/भत्ता के धारक नहीं हैं।

4. श्रीमती के पति की मृत्यु दिनांक को हो चुकी है तथा उसके उपरान्त पुर्णविवाह नहीं किया है।**

दिनांक हस्ताक्षर पंचायत सचिव मोहर सहित।

* "परिवार" से तात्पर्य पति/पत्नी, व्यस्क/अव्यस्क पुत्र/अविवाहित पुत्रियां चाहे वे पंचायत परिवार रजिस्टर में अलग भी दर्शाए गए हों, परिवार की परिधि में आएंगे।

**जो लागू न हो, उसे काट दिया जाए।

शिल्पी अधिकारी

(टीकी/प्रिमी रक्षणी)

प्रमुख प्रति उपायी वर्करिंग ऑफिस ग्राम्य विवरण (A-B)

वार्षिक आय प्रमाण-पत्र
(राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाएगा)

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी
 गांव/शहर डाकघर पिन.....
 तहसील जिला हिमाचल प्रदेश का/की स्थायी निवासी है।

2. आगे प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति तथा परिवार* के सदस्यों
 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि व उससे होने वाली आय उनके नाम के समुख दर्शाई गई
 है :—

क्रमांक	प्रार्थी तथा परिवार के सदस्य का नाम	प्रार्थी से नाता	कुल भूमि	भूमि से वार्षिक आय	अन्य साधनों से वार्षिक आय

क्रमांक

हस्ताक्षर हल्का पटवारी
मोहर सहित

* "परिवार" से तात्पर्य पति/पत्नी, व्यस्क/अव्यस्क पुत्र/अविवाहित पुत्रियां चाहे वे पंचायत परिवार रजिस्टर
में अलग भी दर्शाए गए हों, परिवार की परिधि में आएंगे।

तहसीलदार

मोहर सहित